भारत सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4172 जिसका उत्तर
गुरूवार, 18 जुलाई, 2019/27 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है

पोतभंजन यार्ड

4172. श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
श्री विनोद कुमार सोनकरः
डॉ॰ सुकान्त मजूमदारः

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पोतभंजन यार्डों और उनमें कार्यरत कर्मचारियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इन यार्डों से कितनी मात्रा में और किस तरह का अपशिष्ट पैदा होता है;
(ग) इन यार्डों से पैदा होने वाले ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड तय किए गए हैं;
(घ) क्या अपशिष्ट के निपटान के तरीकों में लापरवाही के कारण इन यार्डों में काम करने वाले श्रमिकों के समक्ष स्वास्थ्य खतरे उत्पन्न होने की सूचना है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन श्रमिकों के हितार्थ अपशिष्ट निपटान प्रणाली में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और
(च) क्या देश में पोतभंजन उद्योग हेतु विनियामक ढांचे की तत्काल आवश्यकता है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री मनसुख मांडविया)

**(क) :** गुजरात के अलांग-सोसिया, महाराष्ट्र के मुंबई पत्तन, पश्चिम बंगाल के कोलकाता पत्तन तथा केरल के कन्नूर में पोत भंजन यार्ड स्थित हैं। अलांग, मुंबई और कोलकाता में प्लाटधारकों/ ठेकेदारों द्वारा कामगारों की नियुक्ति सीधे की जाती है। इन यार्डों में पोत भंजन उद्योग में लगभग 8000 कामगारों को नियुक्त किया गया है। कन्नूर (केरल) के पोत पुनर्चक्रण यार्ड में स्टील इंडस्ट्रियल्स केरला लिमिटेड द्वारा 45 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है।

**(ख) :** पोत भंजन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट में सिरेमिक, कांच, जंग लगे लोहे के स्केल, एस्बेस्टस और एस्बेस्टस वाली सामग्री, कूलिंग पाउडर, ग्लासवूल, थर्मोकोल, पीयूएफ, ऑयल स्लज, पेंट चिप्स, रबर गास्केट, दूषित रेत, ऑयल रग्स, पीवीसी और प्लास्टिक, बिल्ज वॉटर, दूषित जल, तेल युक्त जल आदि शामिल हैं।

वर्ष 2018-2019 के दौरान अलंग-सोसिया में लगभग 6708 मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट और 708 मीट्रिक टन नगरपालिका का ठोस अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था। कोलकाता पत्तन में वर्ष

2018-19 के दौरान 225 मीट्रिक टन अपशिष्ट उत्पन्न हुआ। मुंबई पत्तन में उत्पन्न हुए अपशिष्ट का निपटान महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए नियम और शर्तों के अनुसार स्वयं पोत भंजकों द्वारा किया जाता है। मुंबई पत्तन के पास उत्पन्न हुए अपशिष्ट की मात्रा के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। केरल में, एक वर्ष में पोत भंजन प्रक्रिया से लगभग 20 टन ग्लास वूल, 15 टन वेस्ट ऑयल और 2 टन पीयूएफ उत्पन्न होता है।

**(ग) :** पोत पुनर्चक्रण गतिविधियों से उत्पन्न ठोस और खतरनाक अपशिष्ट का निपटान संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीक्षण के अंतर्गत "खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांसबाउण्ड्री मूवमेंट) नियम, 2016" के अनुसार किया जाता है।

**(घ) :** ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

**(ड.) :** प्रश्न नहीं उठता।

**(च) :** पोत भंजन उद्योग के लिए विनियामक ढ़ांचा, पोत भंजन संहिता (संशोधित), 2013 के रूप में पहले से ही मौजूद है।

*****